प्रेषक,

अधिशासी अभियन्ता
इटावा प्रखण्ड निचली गंगा नहर
इटावा।

सेवा में,

निदेशक,
सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय,
लखनऊ।

पत्रांक– /इ0प्र0/निविदा/2018–19/ दिनांक– 2018

विषयः– अति अल्पकालीन निविदा संख्या– 04/ई0ई0/2018–19 के प्रकाशन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक संलग्न अल्पकालीन निविदा सं0–04/ई0ई0/2018–19/जो दिनांक 27.07.2018 को खोली जानी है, का प्रकाशन इस क्षेत्र में प्रचलित किन्हीं दो प्रमुख हिन्दी दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित कराने की कृपा करें।

संलग्नक– निविदा की 06 प्रतियां सी0डी0 सहित

अधिशासी अभियन्ता
इटावा प्रखण्ड,निचली गंगा नहर,
इटावा।

पत्रांक– /इ0प्र0/निविदा/2018–19/दिनॉक 2018
प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।
1. मुख्य अभियन्ता (रामगंगा), सिंचाई विभाग, उ0प्र0, 98 फूलबाग, कानपुर।
2. अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल, इटावा।
3. जिलाधिकारी, जनपद–इटावा।
4. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, इटावा।
5. जिला सूचना अधिकारी, इटावा।
6. अधीक्षण अभियन्ता, (कम्प्यूटर केन्द्र) कार्यालय प्रमुख अभियन्ता सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग उ0प्र0, लखनऊ को सी0डी0 एवं हार्ड कापी सहित।
7. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड इटावा/औरैया(मुख्यालय दिबियापुर)।
8. अधिशासी अभियन्ता, भोगनीपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, इटावा।
9. अधिशासी अभियन्ता, कानपुर प्रखण्ड निचली गंगा नहर, कानपुर।
10. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई खण्ड फिरोजाबाद।
11. अधिशासी अभियन्ता, सिंचाई निर्माण खण्ड फिरोजाबाद मुख्यालय शिकोहाबाद।
12. अधिशासी अभियन्ता, नलकूप खण्ड प्रथम, इटावा।
13. सहायक अभियन्ता, प्रथम, द्वितीय, एवं तृतीय इटावा प्रखण्ड निचली गंगा नहर, इटावा।
14. नोटिस बोर्ड पर चस्पा हेतु।

अधिशासी अभियन्ता
इटावा प्रखण्ड, निचली गंगा नहर,
इटावा।

कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
इटावा प्रखण्ड निचली गंगा नहर इटावा।

अति अल्पकालीन निविदा सूचना संख्या–04/ई0ई0/2018–19

महामहिम राज्यपाल, उत्तर प्रदेश की ओर से निम्नलिखित कार्यों हेतु ऑन लाइन निविदायें (http//:www.idup.upgovt.in)के माध्यम से आर्थराइज्ड रजिस्टर्ड फर्म से दिनांक 26.07.2018 को दोपहर 12.00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। निविदा की प्री–क्वालिफिकेशन/टेक्निकल बिड उसी दिन दिनॉक 26.07.2018 की अपरान्ह 03.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में उपस्थित आर्थराइज्ड रजिस्टर्ड फर्म के प्रतिनिधि के समक्ष अधीक्षण अभियन्ता, सिंचाई कार्य मण्डल इटावा द्वारा गठित समिति के सदस्यों द्वारा ऑन लाइन खोली जायेगी। टेक्निकल बिड में क्वालीफाइड पाये गये ठेकेदारों की फाइनेन्शियल बिड दिनांक 27.07.2018 को पूर्वान्ह 12.00 बजे से अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय कक्ष में खोली जायेगी। कार्यालय बन्द होने अथवा छुट्टी होने की दशा में प्री–क्वालिफिकेशन/टैक्नीकल बिड एवं फाइनेन्शियल बिड उसी क्रम एवं समयानुसार अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।

ऑनलाइन निविदा के साथ सिंचाई विभागकी निर्धारित श्रेणी में पंजीकरण प्रमाण–पत्र, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण–पत्र (IDT-1), हैसियत प्रमाण–पत्र (IDT-2),स्वघोषणा प्रमाण–पत्र (IDT-3),श्रम विभाग द्वारा जारी पंजीकरण प्रमाण–पत्र एवं मय श्रमिकों के पंजीकरण की रसीद की स्कैन्ड प्रतियॉ, धरोहर धनराशि की एफ0डी0आर0/एन0एस0सी0 जो कि अधिशासी अभियन्ता, इटावा प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, इटावा के पक्ष में बंधक होगी, की स्कैन्ड प्रति आनलाइन निविदा के साथ अपलोड करना अनिवार्य होगा, अन्यथा निविदा स्वीकार नहीं की जायेगी। एक या समस्त निविदाओं को बिना कारण बताये निरस्त करने का पूर्ण अधिकार अधोहस्ताक्षरी को होगा। ई–निविदा से सम्बन्धित अन्य विस्तृत नियम एवं शर्ते http//:www.etender.up.nic.in के बेबसाइट पर देखी जा सकती है।

कार्यों का विवरण निम्नवत है :–

लॉट सं0	कार्य का नाम	कार्य की अनुमानित लागत (लाख रू0 में)	धरोहर धनराशि (लाख रू0 में)	कार्य को पूर्ण करने की अवधि	निविदा का मूल्य (रू0 में)	पंजीकृति श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1	गॉगसी राजवाहे के कि0मी0 53.950 पर वी0आर0बी0 का निर्माण कार्य	17.00	1.70	छः माह	300+VAT 14.5%	''सी''एवं उच्च
2	गॉगसी राजवाहे के कि0मी0 40.00 पर वी0आर0बी0 का निर्माण कार्य	18.00	1.80	छः माह	300+VAT 14.5%	''सी''एवं उच्च
3	गॉगसी राजवाहे के कि0मी0 43.500 पर वी0आर0बी0 का निर्माण कार्य	18.00	1.80	छः माह	300+VAT 14.5%	''सी''एवं उच्च
4	गॉगसी राजवाहे के कि0मी0 55.400 पर वी0आर0बी0 का निर्माण कार्य	17.00	1.70	छः माह	300+VAT 14.5%	''सी''एवं उच्च
5	गॉगसी राजवाहे के कि0मी0 59.450 पर वी0आर0बी0 का निर्माण कार्य	15.00	1.50	छः माह	225+VAT 14.5%	''सी''एवं उच्च
6	गॉगसी राजवाहे के कि0मी0 65.000 पर वी0आर0बी0 का निर्माण कार्य	13.00	1.30	छः माह	225+VAT 14.5%	''सी''एवं उच्च
7	गॉगसी राजवाहे के कि0मी0 67.100 पर वी0आर0बी0 का निर्माण कार्य	13.00	1.30	छः माह	225+VAT 14.5%	''सी''एवं उच्च
8	गॉगसी राजवाहे के कि0मी0 67.500 पर वी0आर0बी0 का निर्माण कार्य	13.00	1.30	छः माह	225+VAT 14.5%	''सी''एवं उच्च
9	रतनपुर राजवाह के कि0मी0 4.750 पर साइफन का निर्माण कार्य	12.00	1.20	छः माह	225+VAT 14.5%	''सी''एवं उच्च
10	गॉगसी राजवाह के कि0मी0 68.580 पर साइफन का निर्माण कार्य	12.00	1.20	छः माह	225+VAT 14.5%	''सी''एवं उच्च
11	बॉसक राजवाह के कि0मी0 12.000 पर वी0आर0बी0 का निर्माण कार्य	15.00	1.50	छः माह	225+VAT 14.5%	''सी''एवं उच्च
12	बॉसक राजवाह के कि0मी0 9.000 पर सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण कार्य	14.00	1.40	छः माह	225+VAT 14.5%	''सी''एवं उच्च

13	बॉसक राजवाह के कि0मी0 59.000 पर सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण कार्य	36.00	3.60	छः माह	300+VAT 14.5%	''बी''एवं उच्च
14	बॉसक राजवाह के कि0मी0 58.745 पर सुरक्षात्मक दीवार का निर्माण कार्य	36.00	3.60	छः माह	300+VAT 14.5%	''बी''एवं उच्च

अधिशासी अभियन्ता
इटावा प्रखण्ड, निचली गंगा नहर,
इटावा।

शर्तेः–

1– यह निवदा सूचना उ0प्र0 सरकार की बेवसाइट http://upgovt.nic.in, तथा सिंचाई विभाग की वेबसाइट http://information.up.nic.in,http:/irrigation.up.nic.inपर उपलब्ध है।

2– सिंचाई विभाग के वेबसाइट (http://upgovt.nic.in)से दिनांक21.07.2018 की पूर्वान्ह10.00 बजे से दिनांक 26.07. 2018 की पूर्वान्ह 12.00 बजे तक निविदा प्रपत्र डाउनलोड एवंअपलोड की जा सकेंगी।

3– रू0 100.00 के नान–जूडिशियल स्टैम्प पेपर पर एक रूपये की रसीदी टिकट लगाकर अनुबंध लिखना होगा कि दरें 90 दिवस तक मान्य होगी। इससे पहले निविदा/ऑफर वापस लेने पर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी। नियमानुसार देय बिक्रीकर, आयकर, स्टैम्प ड्यूटी, रायल्टी देनी होगी। अनुबंध के समय नियमानुसार स्टैम्प ड्यूटी तथा जमानत की शेष 10 प्रतिशत धनराशि धरोहर धनराशि को सम्मिलित करते हुये जमा करना होगा।

4– निविदा/बिड की विस्तृत शर्ते निविदा/बिड प्रपत्र के साथ उपलब्ध होगी।

5– यह बिड सूचना, उ0प्र0 सरकार की वेबसाइट (http//:upgovt.up.nic/infotech)तथासिंचाई विभाग की वेबसाइट (http//:www.idup.upgovt.in)पर भी उपलब्ध है। कार्य केसम्बन्ध में विस्तृत विवरण या कोई अन्य जानकारी अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय सेप्राप्त की जा सकती है।

6– कोई भी बिडदाता जो राज्य सरकार द्वारा काली सूची में दर्ज हों, वह बिड प्रक्रिया में भागनहीं ले सकेगा।

7– राज्य बार कौन्सिल में पंजीकृत कोई भी अधिवक्ता बिड प्रक्रिया में भाग नहीं ले सकेंगे।अनुबन्ध गठित होने के बाद भी यदि उक्त तथ्य संज्ञान में आता है तो समाधान एवं सन्तुष्टिकी दशा में ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापित कर तत्कालनिरस्त कर दिया जायेगा।

8– निविदादाता एक कार्य (लाट) की एक ही निविदा डाल सकेगा। सशर्त निविदा किसी भीदशा में स्वीकार नहीं की जायेगी।

9– प्री–क्वालिफाइड बिड/टेक्निकल बिड में क्वालिफाइड निविदादाता धरोहर धनराशि (किसीराष्ट्रीय बैंक से एफ0डी0आर0 अथवा पोस्ट ऑफिस से एन0एस0सी0 सहित) निर्धारितनिविदा प्रपत्र का मूल्य तथा 18 प्रतिशत GST (दोंनों का डी0डी0 अलग–अलग) अधिशासीअभियन्ता, इटावा प्रखण्ड, निचली गंगा नहर, इटावा के नाम बनाया जायेगातथा IDT-1, IDT-2, IDT-3, ठेकेदार/फर्म का निर्धारित श्रेणी का मूल पंजीकरणप्रमाण–पत्र, श्रम विभाग में पंजीकरण का मूल प्रमाणपत्र मय श्रमिकों की रसीद सहित,जी0एस0टी का रजिस्ट्रेशन तथा टर्न ओवर के मूल प्रमाणपत्र एवं मूल पार्टनरशिप डीड,आईटीआर एवं बेलेन्सशीट 4 वर्ष, फ्लो–चार्ट अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में दिनांक 26.07.2018 को अपरान्ह 03.00 बजे तक मिलान कराना अनिवार्य होगा, अन्यथा उनकी निविदाUnresponsive मानते हुए कोई विचार नहीं किया जायेगा तथा विभाग में उनके पंजीकरणको निरस्त किया जा सकता है। उपरोक्त की Scanned Copy निविदा के साथ Uploadकराना अनिवार्य होगा।

10–निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने की दशा में शासनादेश संख्या–622/23.12.2012–2 आडिट/08 टीसी–2, दिनॉक 08.06.2012 के अनुसार 10 प्रतिशत तक न्यूनतम दरें (Below Rates) डाले जाने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर पर तथा 10 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम दरों (Below Rates) पर 1.00 प्रतिशत प्रति 1 प्रतिशत कम दर'' पर पर्फोरमेंन्स गारन्टी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा कराने के उपरांत अनुबन्ध गठित किया जायेगा। निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

11–उपरोक्त शर्त नं0 8 में वांछित प्रपत्र व्यक्तिगत अथवा रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्तकोरियर सेवा द्वारा प्रेषित करने पर दिनांक 26.07.2018 को दोपहर 03.00 बजे तक ही प्राप्तकी जायेगी। रजिस्टर्ड डाक/मान्यता प्राप्त कोरियर सेवा में विलम्ब के कारण यदि प्रपत्रविलम्ब से प्राप्त होता है, तो स्वीकर नहीं होगा। जिसका उत्तरदायित्व विभाग का नहींहोगा।

12–यदि कोई भी बिडदाता निर्धारित विधि एवं प्रक्रिया के विरूद्ध अनुबन्ध करने हेतु सक्षमप्राधिकारी पर दबाव/असम्यक असर डालता है, तो प्रश्नगत निविदादाता के न्यूनतम बोलीकी स्थिति में भी उसकी निविदा निरस्त की जा सकती है।

13–निविदादाता को उपरोक्तानुसार निविदा/बिड के विभिन्न चरणों की तारीखों तथासमयावधि/स्थल की पूर्ण जानकारी निविदा डालने से पूर्व स्वयं प्राप्त करनी होगी। कोई भीजानकारी सम्बन्धित कार्यालय से कार्य दिवसों में प्राप्त की जा सकती है।

14–निविदादाता/बिडर द्वारा निविदा डालते समय प्रक्रिया की पूर्ण जानकारी/ट्रैनिंग अथवाअन्य किसी कारण से शर्तों को पूर्ण न कर पाने/बाधित हो जाने के कारण निविदा न पडनेपर विभाग की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

15–अपरिहार्य कारणों से या कार्य की परिस्थितियों के अनुसार अनुबन्ध गठित करने अथवा नकरने का अधिकार अधोहस्ताक्षरी के पास सुरक्षित रहेगा। इसके लिये ठेकेदार/फर्म काकोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

16–निविदादाता द्वारा निविदा प्रक्रिया में भाग लेने से पूर्व कार्यस्थल के बारे में भली–भॉतिजानकारी कर ली जायें तथा बाद का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

17–अनुबन्ध गठित होने के पश्चात भी यह तथ्य संज्ञान में आता है कि किसी भी प्रस्तर काउल्लंघन किया गया है तो ऐसे अनुबन्ध को सक्षम अधिकारी द्वारा सकारण आदेश प्रख्यापितकर निरस्त किया जायेगा।

18–यह संज्ञान में आने पर कि किसी निविदादाता द्वारा किसी अन्य संभावित निविदादाता कोइस निविदा प्रक्रिया में भाग लेने एवं निविदा डालने से रोका गया हो या धमकी दी गयी होतो ऐसे ठेकेदार के साथ यदि अनुबन्ध हो भी गया हो तो उसके साथ किया गया अनुबन्धनिरस्त किया जा सकता है।

19–विशिष्ट परिस्थितियों में बिड खोलने की तिथि में यदि कोई परिवर्तन होता है तो इसकीसूचना उक्त वेबसाइट पर उपलब्ध होगी।

20–चरित्र प्रमाण–पत्र, हैसियत प्रमाण–पत्र, पार्टनाशिप डीड, पंजीकरण प्रमाणपत्र, व स्वघोषणाप्रमाण–पत्र के फर्जी या गलत पाये जाने पर बिड निरस्त कर दी जायेगी तथा सम्बन्धितठेकेदार का नाम इस कारण तत्काल संविदा काली सूची में दर्ज कराने की कार्यवाही प्रारम्भकर दी जायेगी।

21–टेक्निकल बिड क्वालिफाइडनिविदादाता के बिड सम्बन्धित प्रपत्रों में पहले यह परीक्षण कियाजायेगा कि बिडदाता I.D.T-1, I.D.T-2, I.D.T-3 Labour Registration Certificate, G.S.T. Registration, Tander Cost With GST Tax तथा निर्धारितप्रतिभूति धनराशि ठीक–ठीक उपलब्ध करायी है या नहीं। इनमें किसी प्रकार की कमी याअसन्तोषजनक होने की स्थिति में बिड पर विचार नहीं किया जायेगा।

22–कार्यस्थल की स्थिति एवं आवश्यकतानुसार कार्य की मात्रा घटाई/बढाई जा सकती हैजिसके लिये ठेकेदार का कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।

23–कोषागार से सत्यापित स्टाम्प प्रपत्र ही मान्य होगें। विपरीत परिस्थिति में अनुबन्ध निरस्तकर दिया जायेगा।

24–निविदादाता द्वारा विभागीय लागत से कम लागत की निविदा डालने के दशा में शासनादेशसंख्या 622/23–12–2012–2 ऑडिट/08टी0सी0–2 दिनांक 08.06.2012 के अनुसार 10प्रतिशत तक न्यूनतम दरें डाले जाने पर 0.50 प्रतिशत प्रति 1.00 प्रतिशत कम दर पर तथा10 प्रतिशत से अधिक न्यूनतम दरों पर 1.00 प्रतिशत कम दर पर सिक्योरिटी/परर्फोमेन्सगारंटी की अतिरिक्त धरोहर धनराशि जमा करने के उपरान्त अनुबन्ध गठित किया जायेगा।निविदादाता द्वारा उक्त धनराशि जमा न किये जाने पर उसकी धरोहर धनराशि जब्त करली जायेगी तथा द्वितीय न्यूनतम निविदादाता के नाम अनुबन्ध गठित करने की कार्यवही करदी जायेगी, जिसके लिये ठेकेदार को कोई क्लेम स्वीकार नहीं होगा।

25–यदि ठेकेदारों द्वारा किसी भी प्रकार कार्य प्राप्त करने के लिये कार्य की अनुमानित लागत सेअत्यन्त कम दरें दे दी जाती है तो ऐसी स्थिति में यदि सक्षम अधिकारी को यह आशंका हो कि ठेकेदार द्वारा साभिप्राय कम दरें दी जा रही है और इस प्रकार गुणवत्ता के साथमानकों के अनुरूप कार्य पूर्ण किया जाना संभव नहीं हो पायेगा तो सक्षम अधिकारी को येअधिकार होगा कि वह निविदादाता से कम दरें देने का विस्तृत विवरण मॉगे। यदि आशंकाकी पुष्टि हो जाती है कि निविदादाता द्वारा साभिप्राय ऐसा किया जा रहा है तो गुण दोष केआधार पर सक्षम अधिकारी द्वारा निविदा निरस्त कर धरोहर धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

26–निविदा से सम्बन्धित विस्तृत एवं अन्य जानकारी अधिशासी अभियन्ता इटावा प्रखण्ड निचली गंगा नहर, इटावा– 206001 से सम्पर्क कर (Phone: 05688-254947 e-mail: eelgcetwd@gmail.com) प्राप्त की जा सकती है।

27–निविदादाता की ज्वाईन्ट बैन्चर की निविदा किसी भी दशा में स्वीकार नहीं होगी।

28–सम्पूर्ण निविदा प्रक्रिया सिंचाई विभाग उत्तर प्रदेश के समय–समय पर प्रचलित नियमों वशासनादेशों के अनुरूप की जायेगी।

29—अनुबन्ध के समय ठेकेदार से इस आशय का घोषणा पत्र लिया जायेगा कि उनके द्वाराअनुबन्ध को सबलेट नहीं किया जायेगा अन्यथा की स्थिति में अनुबन्ध निरस्त कर धरोहरधनराशि जब्त कर ली जायेगी तथा ठेकेदार का कोई क्लेम स्वीकार नहीं होगा।

30—अनुबन्धकर्ता ठेकेदार के बीजकों से नियमानुसार आयकर, लेबर सेस, जी0एस0टी0 कर एवंतत्समय अन्य प्रचलित दरों की कटौती की जायेगी।

31—उपरोक्त निविदायें धनावंटन की प्रत्याशा में आमंत्रित की गई है। धनावंटन न होने अथवापर्याप्त धनावंटन न होने की स्थिति में यदि कार्य सम्पादित नहीं कराये जाते है तो सम्बन्धितठेकेदार का कोई क्लेम स्वीकार नहीं होगा।

32—उपरोक्त कार्यों की निविदा हेतु निविदादाता को पिछले दो वर्षों में उसी प्रकृति के कम सेकम निविदित्त कार्य की दोगुनी लागत के बराबर के कार्य कराने का अनुभव प्रमाण—पत्रसक्षम स्तर से प्राप्त कर स्कैण्ड कॉपी अन्य अभिलेखों के साथ अपलोड करना अनिवार्यहोगा।

33—निविदादाता का जी0एस0टी0 में पंजीकरण होना अनिवार्य है।

34—पैन नम्बर, आधार नम्बर एवं जी0एस0टी0 नम्बर की प्रति अपलोड़ कराना अनिवार्य होगा।

विशेष शर्तें:—

1— ठेकेदार को कार्य के दौरान/उपरान्त निर्माण सामग्री, आदि की आपूर्ति से सम्बन्धित वैध अभिवहन प्रपत्र (प्रपत्र एम0एम0—11) जमा करना होगा अन्यथा की स्थिति में शासनादेश संख्या 3385/86—2015—292/2015 भूतत्व एवं खनिकर्म अनुभाग, दिनांक 15.10.2015 के अनुसार रॉयल्टी के साथ—साथ खनिज मूल्य (सामान्यतया रॉयल्टी का पॉच गुणा) की कटौतीठेकेदार के बीजक से की जायेगी। जिसके लिये ठेकेदार को कोई क्लेम मान्य नहीं होगा।
2— लीज की दरें निविदा प्रपत्र के मूल्य एवं कार्यों पर वसूल की जायेगी।
3— निविदा खोले जाने के समय केवल न्यूनतम वर्गीकृत श्रेणी में पंजीकृत निविदादाता अथवाउनके अधिकृत प्रतिनिधि को ही कार्यालय परिसर में प्रवेश का अधिकार होगा।
4— ठेकेदार द्वारा कार्य पूर्ण करने के पश्चात सक्षम स्तर से जॉच आख्या संतोषजनक पाये जाने पर ही भुगतान की कार्यवाही की जायेगी।
5— निविदा मूल्य + 18% GST का डिमाण्ड ड्राफ्ट(दोंनों का डी0डी0 अलग—अलग), जो अधिशासी अभियन्ता इटावा प्रखण्ड, निचली गंगा नहर इटावा के नाम इटावा में देय होगा।
6— वैध पंजीयन की प्रति।
7— पिछले तीन साल का आयकर चुकता प्रमाण पत्र।
8— पिछले चार वर्ष की बैलेन्स शीट।
9— वर्तमान में चल रहे कार्यो की सूची।
10— संस्था के प्रकरण में पार्टनरशीप डीड के अनुबन्ध की अभिप्रमाणित प्रति।
11— ठेकेदार के पास निविदा प्रपत्र में दिये गये प्रपत्र पर टी0एण्ड पी0 का विवरण।
12— अनुभव प्रमाण पत्र (दोगुनी लागत का)।
13— ठेकेदार के पास कम से कम एक सिविल डिप्लोमाधारी होना आवश्यक है।

अधिशासी अभियन्ता
इटावा प्रखण्ड निचली गंगा नहर
इटावा।